

पत्रांक-11 न० वि० अभि० (को०) 134/2015 1179 न०वि० एवं आ०वि०
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
जहानाबाद।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, जहानाबाद।

पटना, दिनांक 14/9/18

विषय:- राज्य योजना अन्तर्गत वार्ड न०-03 स्थित महादलित बाहुल्य दौलतपुर मुसहरी (वार्ड न०-03) में पी०सी०सी० निर्माण कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति एवं पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, जहानाबाद का पत्रांक-43 दिनांक-08.06.2018
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित विषयांकित योजना हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन की राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	पूर्व में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	पूर्व में प्रदत्त परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)	पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)
1.	राज्य योजना अन्तर्गत वार्ड न०-03 स्थित महादलित बाहुल्य दौलतपुर मुसहरी में पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	80.45 लाख ₹० (सरकार के संयुक्त सचिव का पत्रांक-106 दिनांक-30.12.2014)	79.855 (इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त)	65.641	76,05,263 / -	64,99,068 / -

अतः उक्त योजना के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत एवं पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक-एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु लौटायी जाती है। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र के आधार पर पूर्व में किये गये एकरारनामा के एकरारनामित मर्दों को वर्तमान अनुमोदित परिमाण विपत्र से घटाकर तथा नये सृजित (यदि हो) मर्दों के लिए पूरक एकरारनामा का कार्य सम्पादित कराये।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


13/9/18


अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत वार्ड नं०-03 स्थित महादलित बाहुल्य दौलतपुर मुसहरी में पी०सी०सी० निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 80,45,000/- (अस्सी लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र। सरकार के संयुक्त सचिव का पत्रांक-106 दिनांक-30.12.2014
- 3 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 65,64,100/- (पैंसठ लाख चौंसठ हजार एक सौ) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें। कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्रियों की आपूर्ति ISI के Specification का होना चाहिए।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) पी०सी०सी० पथ कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould Cast करने के बाद Crushing Strength का Test अवश्य कर लेंगे।
(vii) प्राक्कलन में पथ के क्रष्ट में कैंबर का प्रावधान करेंगे ताकि पानी का जमाव पथ क्रष्ट पर ना हो।
(viii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(ix) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(x) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(xi) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xii) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।
(xiii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं०-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xiv) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।


13/9/18

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना